संख्या-610/11-5-2013-312(66)/11

प्रेषक

बी0एम0मीना
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक: 09 मई,2013

विषयः- उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अन्तगत निर्धारित सर्किल रेट के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके संज्ञान में लाना है कि जनपदों के कम्प्यूटरीकृत एवं अन्य उप निबन्धक कार्यालयों में (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अन्तगत निर्धारित सर्किल दर सूची का प्रारूप एक समान नही है जिसके कारण प्रेरणा साफ्टवेयर में सर्किल रेट को फीड करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। उक्त परिस्थितियों में मूल्य सूची का एक आदर्श माडल/प्रारूप बनाये जाने तथा मार्गदर्शक बिन्दुओं को तैयार किये जाने हेतु आयुक्त स्टाम्प के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.02.2013 द्वारा एक सेल का गठन किया गया है ताकि मूल्यांकन सूची प्रचलित बाजार दर के अनुरूप हो।

2. उक्त सेल द्वारा तैयार किये गये मार्गदर्शक सिद्धान्त/प्रारूप की प्रतियां संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेल द्वारा तैयार कराये गये प्रारूप तथा मार्गदर्शक सिद्धान्तों से अवगत होते हुए तदनुसार वांछित सूचनायें महानिरीक्षक निबन्धन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

3. सर्किल रेट के पुनरीक्षण का आशय केवल रेट का बढ़ाना ही नही होना चाहिए। कभी-कभी स्थल निरीक्षण के बिना ही रेट उच्चीकृत कर दिये जाते है। उपरोक्तानुसार सेल का गठन इस आशय से किया गया है कि मूल्य का निर्धारण वैज्ञानिक तरीके से हो सके।

4. यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी जनपद के सर्किल रेट में किये गये संशोधन को अब महानिरीक्षक निबन्धन के अधीन गठित सेल के अनुमोदन के उपरान्त ही लागू किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय
(बी0एम0मीना)
प्रमुख सचिव

संख्या-610/11-5-2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0 शिविर कार्यालय को उनके पत्र संख्या-2482/स्टाम्प-विविध-37/2013 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जी0सी0कठेरिया)
उप सचिव